रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

**असाधारण**
**EXTRAORDINARY**
**भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)**
**PART II—Section 3—Sub-section (i)**
**प्राधिकार से प्रकाशित**
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

**सं. 388] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 19, 2017/वैशाख 29, 1939**
**No. 388] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 19, 2017/VAISAKHA 29, 1939**

lMd ifjogu vkj jktekxZ e=ky;

vf/klpuk

नई दिल्ली, 19 मई, 2017

lk-dk-fu- **485(v).**—मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संषोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1182(अ), तारीख 29 दिसंबर, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों द्वारा उस तारीख से जब प्रारूप नियमों से अंतर्विष्ट उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थी, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाषित किए गए थे;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 29 दिसंबर, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थी;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

अतः, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटर यान नियम, 1989 का और संषोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (आठवां संषोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115 के उप–नियम (15) में, –

(i) खंड (क) में पांचवें परन्तुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

''परन्तु यह कि इस खंड की कोई भी बात देष की रक्षा से संबंधित सरकारी प्रयोजनों के लिए उपयोग किए गये और अधिनियम की धारा 60 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मोटर यानें को लागू नहीं होगी;'';

(ii) खंड (कक) में, निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

''परन्तु यह कि इस खंड की कोई बात देष की रक्षा से संबंधित सरकारी प्रयोजनों के लिए उपयोग किए गये और अधिनियम की धारा 60 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मोटर यानें को लागू नहीं होगी;'';

[फा. सं. आरटी.–11017/05/2016–एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

fVIi.k ‘मूल नियम सा.का.नि. 590(अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि.423(अ), तारीख 1 मई, 2017 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th May, 2017

**G.S.R. 485(E).—**Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 1182 (E), dated the 29th December, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 29th December, 2016;

And whereas, no objections and suggestions have been received from the public in respect of the said draft rules;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Eighth Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 115, in sub-rule (15),-

(i) in clause (a), after the fifth proviso and before the Explanation, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that nothing in this clause shall apply to the motor vehicle used for Government purposes relating to the defence of the country and registered under section 60 of the Act;";

(ii) in clause (aa), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that nothing in this clause shall apply to the motor vehicle used for Government purposes relating to the defence of the country and registered under section 60 of the Act;".

[No. RT-11017/05/2016-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published vide number G.S.R.590(E) dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* number G.S.R. 423(E), dated 1st May, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.05.22 22:42:09 +05'30'